न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 118/12 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :-

1. काटूली पत्नि स्व0 देवीसहाय
2. मोडी उर्फ सावित्री पुत्री देवीसहाय
3. शिवलाल पुत्र देवीसहाय
4. बोबड पुत्र देवीसहाय
5. रणसिंह पुत्र देवीसहाय
6. होशियार पुत्र देवीसहाय
7. भूपसिंह उर्फ भोन्दू पुत्र देवीसहाय
8. अभयसिंह पुत्र देवीसहाय जाति समस्त कुम्हार निवासीयान ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:---- अपीलांटान

बनाम

1 बुद्धीदेवी पत्नि बुद्धाराम जाति जांगिड ब्राहमण निवासी ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर जरिये मुख्त्यारआम ताराचन्द पुत्र स्व0 बुद्धाराम जाति जांगडा ब्राहमण निवासी ग्राम लुहादेरा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:----- असल रेस्पो0

2. जलसिंह पुत्र चन्दर जाति जाट निवासी ग्राम करवड तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान
3. उप पंजियक कोटकासिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम लैंड होल्डर

:----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,कोटकासिम

दिनांक 31.7.2012

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री मूलचन्द चौधरी

2. वकील रेस्पो0 :- श्री जगदीश प्रसाद यादव,

श्री रामपत सिंह

निर्णय दिनांक 2.11.2017

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 167/10 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 31.7.2012 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी वादनी बुद्धीदेवी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र के साथ धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रा0 पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 540 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम करवड तहसील कोटकासिम वादिया प्रार्थीनी की कब्जे काश्त खातेदारी की है । यह आराजी वादनी प्रार्थीनी को जरिये हिबानामा उसकी माता से प्राप्त हुई है । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में इस आराजी का 01 बिस्वा रकबा अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण की आराजी में मिला दिया । इस गलत अंकन की आड में अब प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

3 विद्वान वकील अपीलांट अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी अपीलांटान के पति व पिता देवीसहाय ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25.7.66 को रेस्पो0 संख्या 01 से खरीद की थी और कब्जा प्राप्त किया था । देवीसहाय के फौत होने के बाद आराजी पर अपीलांट बहैसियत वारिस काबिज है । तहत न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट था कि 01 बिस्वा आराजी रेस्पो0 जलसिंह के पास हाल खसरा नम्बर 838 में शामिल की है, वह भी गलत है । जबकि हाल खसरा नम्बर 837 का रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा की बजाय 4 बीघा होना चाहिये था । जिस तथ्य पर भी विद्वान तहत न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया । असल रेस्पो0 ने उपरोक्त विवादित आराजी विक्रय की थी तथा उक्त बयनामा पर असल रेस्पो0 के पुत्र के हस्ताक्षर हैं, जो असल बयनामा हम अपीलांटान ने अपने जवाब के साथ तहत न्यायालय में पेश किया था, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया । हम विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं । कानूनन रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ टी0 आई0 जारी नहीं की जा सकती । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि मेरे द्वारा कोई बयनामा नहीं कराया गया है । विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 540 रकबा 4 बीघा मेरे कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में इस आराजी के हाल नम्बर 837 एवं 838 बनाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया । बंदोबस्त विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पक्षकारों के टाईटल का निर्धारण तो मूल वाद में तय होना है । हम यहां धारा 212 के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं । जिसके लिये धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के 3 इनग्रेडियंटस को देखना होता है :-

6 1. प्रथमदृष्टतया मामला,

तहत पत्रावली में संलग्न हाल जमाबन्दी 2063-66 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 837 एवं 838 पर अपीलांटस को खातेदार दर्ज किया हुआ है । परन्तु जमाबन्दी सम्वत 2020 में इस आराजी के साबिक खसरा नम्बर 540 पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीनी वादनी असल रेस्पो0 को खातेदार दर्ज किया हुआ है । असल रेस्पो0 वादनी ने बंदोबस्त सम्वत 2029 में एवं उसके बाद के इन्द्राज को चैलेंज किया है । सम्वत 2020 में असल रेस्पो0 वादनी का नाम बतौर खातेदार होने की स्थिति में प्रथम दृष्टतया मामला उसके पक्ष में साबित होता है ।

2. सुविधा का सन्तुलन

बंदोबस्त सम्वत 2029 से पूर्व के साबिक रिकार्ड में असल रेस्पो0 वादिया रिकार्डेड खातेदार है । बंदोबस्त सम्वत 2029 मे प्रतिवादीगण के पक्ष में हुये इन्द्राज परिवर्तन के आधार पर अगर असल रेस्पो0 वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत की गई तो उसे असुविधा होगी अर्थात सुविधा का सन्तुलन भी वादिया असल रेस्पो0 के पक्ष में साबित है ।

3. नापूर्तिजनक क्षति

सम्वत 2029 में एवं उसके बाद जो इन्द्राजात प्रतिवादीगण अपीलांट के पक्ष में हुये हैं, उसके आधार पर अगर आराजी खुर्द बुर्द कर दी गई तो वादिया असल रेस्पो0 को नापूर्तिजनक क्षति होगी । अतः यह बिन्दू भी वादिया असल रेस्पो0 के पक्ष में साबित है ।

इस प्रकार धारा 212 के तीनो बिन्दू वादिया असल रेस्पो0 के पक्ष में साबित है । जहां तक अपीलांट के इस कथन का प्रश्न है कि उन्होंने आराजी जरिये बयनामा खरीद की है, इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा कोई बयनामा पेश नहीं किया गया है । जिसके अभाव में उसे किसी प्रकार की रिलीफ प्रदान किया जाना न्यायसंगत नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.7.2012 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संज शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner